

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्यालय आदेश

का0आ0सं0-06/अ0प्र0-07-18/2025

98

पटना, दिनांक- 5.2.26

श्री अनिल कुमार, मुख्य अभियंता-2, गया स्वयं के चिकित्सा हेतु दिनांक-23.12.2025 से 07.05.2026 तक कुल 136 दिनों का चिकित्सीय अवकाश को इनके 272 दिनों के अर्धवैतनिक अवकाश से रूपान्तरित अवकाश में परिवर्तित करते हुए बिहार सेवा संहिता के नियम 232, 234 एवं 248 के तहत 136 दिनों का रूपान्तरित अवकाश के रूप में स्वीकृति प्रदान की जाती हैं।

2. इनके दिनांक 22.12.2025 तक 593 दिन अर्धवैतनिक अवकाश में से 272 दिनों के अर्धवैतनिक अवकाश के बदले 136 दिनों रूपान्तरित अवकाश स्वीकृति उपरान्त 321 दिन अर्धवैतनिक अवकाश एवं 44 दिन रूपान्तरित अवकाश शेष संचित रहेगा।

3 इस प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।


05/02/26
(उमंग)

सरकार के उप सचिव
पटना, दिनांक:-

ज्ञापांक-06/अ0प्र0-07-18/2025


प्रतिलिपि:-महालेखाकार (ले0 एवं ह0), का कार्यालय/वित्त (वै0दा0नि0को0)विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


05/02/26

सरकार के उप सचिव
पटना, दिनांक:-

ज्ञापांक-06/अ0प्र0-07-18/2025

प्रतिलिपि:- संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


05/02/26

सरकार के उप सचिव
पटना, दिनांक:- 5.2.26

ज्ञापांक-06/अ0प्र0-07-18/2025 1539

प्रतिलिपि:- श्री अनिल कुमार, मुख्य अभियंता-2, गया, ग्रामीण कार्य विभाग /आई0 टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना (वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यर्थ प्रेषित।


05/02/26

सरकार के उप सचिव

